उ0 प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0 अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14—अशोक मार्ग शक्ति भवन (वि0),

लखनऊ

Website:www.uppst.org

पत्र सं0:— ३०२ /सी0पी0एफ0ट्रस्ट/लेखा पर्ची दिनांक: 8.8.17

"ई—मेल" समस्त, उपमहाप्रन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण/पारेषण), उ0प्र0पा0का0लि0,उ0प्र0पा0ट्रा0लि0,समस्त डिस्काम।

उपमहाप्रबन्धक (केस्को), कानपुर

उपमहाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), लखनऊ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी, केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ, मुख्यालय भुगतान, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषयः— अंशदायी भविष्य निधि मद में भुगतान एवं उसके सापेक्ष जमा अनुसूची, अन्तिम भुगतान संबन्धी प्रकरण आदि के संबंध में दिशानिर्देश।

कृपया उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 1915—पी—एण्ड—आर—28 दिनांक 06.06.2003, 1274—पी—एण्ड—आर दिनांक 18.06.2004 एवं ट्रस्ट कार्यालय ज्ञाप सं0 380/ट्रस्ट/यू0पी0सी0एल0/सी0पी0एफ0 /18 दिनांक 25.06.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बंध में संज्ञान लिया गया है कि उक्त आदेशों में निहित प्रक्रियानुसार उ0प्र0 पा0का0लि अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट से आच्छादित समस्त निगमों द्वारा एकरूपता में कार्यवाही, यथा—ससमय अंशदान का भुगतान, अंशदान संबन्धी जमा एवं अग्रिम संबन्धी नाम अनुसूची प्रेषित करना, नहीं की जा रही है जिसके कारण सी0पी0एफ0 लेखा पर्ची निर्गमन कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है।

इस संबंध में पूर्व में आदेशों के अनुक्रम में कार्य को ससमय एवं सुगमता से निस्तारित करने के सम्बन्ध में समीक्षा के उपरान्त निम्नवत् बिन्दुओं के संबंध में प्राथमिकता पर कार्यवाही अपेक्षित हैः—

1. **वित्तीय वर्ष 2013—14 तक लम्बित लेखापर्ची निर्गमन के सम्बन्ध मेंः—** आदेश संख्या 380/ट्रस्ट/दिनांक 25.06.2014 के पूर्व अं0भ0नि0 लेखापर्ची का निर्गमन, इकाई द्वारा उपलब्ध विवरण एवं अंशदान की प्रेषित धनराशि के आधार पर किया जाना प्राविधानित था। समीक्षा के उपरान्त संज्ञान मे लाया गया कि अनुसूची के सापेक्ष धनराशि प्राप्त न होना, अनुसूची एवं धनराशि में अन्तर होना, के कारण वित्तीय वर्ष 2013—14 की कुछ इकाइयों की लेखापर्ची निर्गत किये जाने का कार्य पूर्ण नही हुआ है। अतः जिन इकाइयों को अभी तक उपरोक्त वित्तीय वर्ष 2013—14 तक की लेखापर्ची प्राप्त न हुई हो उनके इकाईवार, कार्मिकवार संकलित वार्षिक विवरण भुगतान की राशि के विवरण सहित, एक माह के भीतर पत्र के माध्यम से लेखाधिकारी, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट को सम्बोधित करते हुए प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

   i. यदि देयता के सापेक्ष कम राशि का भुगतान ट्रस्ट को किया गया है। तो बकाया धनराशि की निधि माँग संबन्धित उपमुख्य लेखाधिकारी/निगम से करते हुए एक प्रति ट्रस्ट कार्यालय को भी प्रेषित करें।

   ii. साथ ही संकलित अनुसूची में कार्मिकवार लिये गये अग्रिम/अन्तिम भुगतान राशि का विवरण भी अलग से प्रेषित करें।

   iii. संकलित विवरण प्रेषित करते हुए जाँचोपरान्त सुनिश्चित कर ले कि नियोक्ता अंशदान निर्धारित मूल वेतन+ ग्रेड पे + मेहगाई भत्ते का 10% से अधिक न हो।

   iv. जमा अनुसूची विवरण प्रेषित करते हुए सुनिश्चित करे कि सभी कार्मिकों के खाता संख्या अवश्य इंगित किए हो। वित्तीय वर्ष में यदि कार्मिक का स्थानान्तरण दूसरी इकाई में हुआ है तो तैनाती इकाई का नाम इंगित करें। इसी प्रकार यदि कोई कार्मिक दूसरी इकाई से स्थानान्तरित होकर आया है तो उस ईकाई का नाम इंगित करें।

2. **वित्तीय वर्ष 2014—15 एवं अग्रेतर लेखापर्ची निर्गमन के सम्बन्ध मेंः—** वित्तीय वर्ष 2014—15 में संशोधित आदेश के उपरान्त वेतन मद का एक मुश्त अंशदान निगम स्तर/क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (पारेषण) स्तर से ट्रस्ट को सीधे प्रेषित किया जा रहा है, जबकि मंहगाई भत्ता, बोनस, एरियर आदि की राशि का भुगतान इकाई द्वारा भी ट्रस्ट को प्राप्त हो रहा है। संशोधित आदेश के कियान्वयन से पूर्व की संकलित अनुसूची बिन्दु 1 के अनुसार ही प्रेषित की जाएगी। जबकि आदेशों के कियान्वयन के उपरान्त अनुसूची में निगम स्तर से प्राप्त धनराशि का विवरण इकाई द्वारा प्रषित नही किया जायेगा। जबकि अन्य धनराशि जिसका भुगतान इकाई द्वारा ट्रस्ट को किया गया है, की अनुसूची में भुगतान का विवरण भी दर्शाया जाएगा। अनुसूची पत्र के

भुगतान का विवरण भी दर्शाया जाएगा। अनुसूची पत्र के माध्यम से लेखाधिकारी ट्रस्ट को उपलब्ध करायी जाएगी। जिसकी प्रति संबन्धित उपमुख्य लेखाधिकारी को भी पृष्ठांकित की जाएगी, जिसकी उनके द्वारा 15 दिनो मे जाँच कर, पुष्टि दिये जाने की सूचना ट्रस्ट को उपलब्ध कराना होगा। इकाई स्तर से प्रेषित अनुसूची में इकाई के मासिक खाते मे इंगित बुकिंग को दर्शाना आवश्यक होगा। संबन्धित कार्मिक की देयता के सापेक्ष मासिक लेखों की बुकिंग में अन्तर आने पर उसका समायोजन वित्तीय वर्ष के मार्च (अन्तिम) के लेखे मे करते हुए मासिक लेखों को संशाधित किया जायेगा। इस संबंध में यह भी अपेक्षित है कि अंशदायी भविष्य निधि के संबन्धित अभिलेख का कम्प्यूटरीकृत रखरखाव इकाई एवं क्षेत्रीय लेखा कार्यालय स्तर पर किया जाय ताकि शीघ्रता से आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाना संभव हो सके।

3. **अंशदायी भविष्य निधि खाता आवंटन के सम्बन्ध में:–** संज्ञान में आया है कि अंशदायी भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित कराए बिना ही कार्मिक के वेतन से अंशदान कटौती प्रारम्भ कर दी जाती है जिसके कारण ट्रस्ट स्तर पर अंशदान शामिल नही हो पाता है। अतएव खाता संख्या आवंटित कराने हेतु निर्धारित प्रारूप में समय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। वर्तमान नियम के अन्तर्गत प्रशिक्षु की नियमितीकरण होने तक अं0भ0नि0 खाता सं0 आवंटन नही किया जाना है। अतः अंशदायी सदस्यता आवेदन प्रपत्र संस्तुति करते हुए इस बिन्दु को नियन्त्रक अधिकारी द्वारा ध्यान मे रखा जाए। प्रोन्नति एवं उच्च पद पर कार्मिक के नियुक्त होने पर आंवटित खाता संख्या में परिवर्तन की आवश्यकता नही है। मात्र अनुसूची मे नए पद का उल्लेख किया जाना है।
4. **अंशदायी भविष्य निधि मद मे अग्रिम स्वीकृति के सम्बन्ध में:–** अं0भ0नि0 मद से अग्रिम स्वीकृति करते हुए अं0भ0नि0 नियम–2004 का कडाई से अनुपालन किया जाना आवश्यक है। अस्थायी/स्थायी अग्रिम मात्र कर्मचारी अंशदान के अवशेष के सापेक्ष अर्ह होने पर ही स्वीकृत किया जा सकता है, साथ ही अस्थायी अग्रिम की निर्धारित किश्तों में कटौती कर वेतन के साथ ही निधि माँग प्रेषित की जायेगी।
5. **अंशदायी भविष्य निधि मद के अन्तिम भुगतान के सम्बन्ध में:–** सेवानिवृत्त/मृतक कार्मिकों के अं0भ0नि0 अन्तिम भुगतान हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा शीघ्र आवश्यक विवरण निर्धारित प्रारूप में, उपलब्ध अन्तिम लेखापर्ची की प्रति एवं तदुपरान्त कार्यालय के अभिलेखो के अनुसार मासिक कटौती, अग्रिम, अग्रिम वापसी को सत्यापित करते हुए लेखाधिकारी अं0भ0नि0 ट्रस्ट को ससमय प्रेषित किये जाए। नियमानुसार सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु के माह से अधिकतम 6 माह तक का ब्याज ही अनुमन्य है।

अवगत ही है कि ट्रस्ट द्वारा वेबसाइट **www.uppst.org** का निर्माण कराया गया है, जिस पर अं0भ0नि0 ट्रस्ट से संबन्धित खाता संख्या/अं0भ0नि0 नियम 2004 एवं समय–समय पर निर्गत आदेशों की प्रतिलिपि भी उपलब्ध है, जिसका उपयोग इकाई/क्षेत्र एवं निगम स्तर से किया जाना अपेक्षित है।

(पी0के0 गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वि0 एवं ले0)
एवं सचिव (ट्रस्ट)

पत्र सं०– / सी0पी0एफ0ट्रस्ट/लेखा पर्ची /तद्दिनांकः .2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

"ई–मेल"

1. निदेशक (वित्त एवं ट्रस्टी) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, डिस्काम, मेरठ, आगरा, लखनऊ एवं वाराणसी।
3. महाप्रबन्धक/मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0/उ०प्र०पा०ट्राँ०का०लि०/डिस्कॉम वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा।
4. समस्त मुख्य अभियंता/महाप्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/डिस्काम।
5. अधिशासी अभियन्ता (कम्प्यूटर), उ0प्र0स्टे0पा0से0इ0ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
6. समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अं0भ0नि0 ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन कराते हुए अं0भ0नि0 लेखापर्ची प्राथमिकता पर निर्गत कराया जाना है ।
7. समस्त ~~डिस्काम~~, आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/ डिस्कामध्/

(पी०के० गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वि0 एवं ले0)
एवं सचिव (ट्रस्ट)